न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 127/2022 (2022/419)

1. रामअवतार बलाई पुत्र स्व.श्री हेमराज जाति बलाई निवासी उगांई तहसील केकडी जिला अजमेर राज. नाबालिग संरक्षक माता श्रीमति रेखा देवी पत्नी स्व. श्री हेमराज जाति बलाई निवासी उंगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।

---वादी

♠ बनाम ♠

1. सुखलाल पुत्र श्री धन्ना जाति बलाई निवासी ऊगाई तहसील केकडी जिला अजमेरं
2. श्रीमान पटवारी महोदय पटवार हल्का ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

– प्रतिवादी

4. काली पत्नी रामा जाति बलाई निवासी ऊगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
5. चेतनराम पुत्र धन्ना जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
6. छोटूराम पुत्र धन्ना जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर
7. दुर्गेश पुत्र रामा जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
8. पांची पुत्री धन्ना जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. मुकेश पुत्र रामा जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
10. महेन्द्र पुत्र रामा जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
11. लाडा पत्नी स्व. देवीलाल जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
12. राजू पुत्र स्व. देवीलाल जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
13. राखी पुत्री सुखलाल जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
14. सनया पुत्री सुखलाल जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
15. मैना पुत्री सुखलाल जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
16. सरोज पुत्री सुखलाल जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
17. शिवराज पुत्र सुखलाल जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।

–प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

उपस्थितः–'

1. नोरतमल सांखला–वकील वादी
2. नीरज जैन– वकील प्रतिवादी
3. पैरोकार सरकार तहसीलदार केकडी।

वाद पत्र अंतर्गत धारा 89,209,92ए,53,88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक 13.8.2022

पत्रावली आज राष्टीय लोक अदालत मे पेश हुई। वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 89,209,92ए,53,88,188 राज. टिनेन्सी एक्ट के तहत वादी की ओर से वादग्रस्त आराजीयात ग्राम ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है जो आराजीयात ग्राम उगाई तहसील केकडी के खाता संख्या 69–60 के कुल किता 16, कुल रकबा 6.05हैक्टर मे वादी के दादा जो कि प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 है के नाम उक्त जमाबंदी में 19/84 हिस्सा इन्द्राज है जिसमे वादी का 1/7 हिस्सा बनता है उसी अनुसार प्रार्थी जरिये माता मौके पर कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में चला आ रहा है व खाता संख्या नया-पुराना 268-249 के खसरा संख्या 326, रकबा 0.01हैक्टर उक्त आराजीयात में वादी के दादा जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 है के नाम उक्त जमाबंदी में 19/84 हिस्सा इन्द्राज है जिसमे वादी का 1/24 हिस्सा बनता है उसी अनुसार वादी जरिये माता मौके मकान बनाकर अपने हिस्से मे निवास कर रही है। खाता संख्या नया-पुराना 125-108 के खसरा संख्या 225 रकबा 0.05 मे वादी के दादा जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 है के नाम उक्त जमाबंदी में 1/7 हिस्सा इन्द्राज है जिसमे वादी का 1/7 हिस्सा बनता है उसी अनुसार वादी जरिये माता मौके कब्जा काश्त उपयोग उपभोग आधिपत्य में चला आ रहा है। वाद पत्र पेरा सं. 1 की आराजीयात जो सयुक्त हिन्दू परिवार की अविभक्त व मोरूसी जायदाद है जो राजस्व रिकोर्ड में वादी के दादा सुखलाल पुत्र धन्ना की खातेदारी मे दर्ज है। यह कि वादीगण ने यह वाद व प्रार्थना पत्र अपने लडके की तरफ पेश किया है। जो नाबालिग हे इसलिए प्राकृतिक संरक्षक मां की हैसियत से यह वाद प्रस्तुत किया है। यह कि वादीगण के पिता व उनके दादा सुखलाल पुत्र धन्ना भी अन्य प्रतिवादीगण से मिले हुये हैं एवं आराजीयात वाद पत्र पेरा सं. 1 को खुर्द बुर्द करने की फिराक में है। प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से की आराजीयात से वंचित कर देना चाहते है। वादीगण की माता मेहनत मजदुरी करके वादीगण का भरण पोषण कर रही है । प्रतिवादीगण सं. 1 उसके नाम दर्ज सम्पूर्ण आराजीयात को किसी दीगर व्यक्ति को हस्तान्तरण जरिये विक्रय विलेख व अन्य प्रकार से अन्तरण करने में सफल हो गया तो अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी एवं प्रार्थीगणके सामने भूखे मरने की नोबत आ जावेगी इसलिए वादीगण अधिकारी है। की अपने हिस्से में आई हुई आराजीयात की खातेदार की घोषणा करावे व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 को प्रफोर्मा प्रतिवादीगण जरिये स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करावे इसलिए वादीगण की और से उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। यह कि वादीगण ने दिनांक 18.06.2022 को प्रतिवादी सं. 1 व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण को अपने हक हिस्से की आराजीयात को स्वय के नाम करवाने व बटवारा करने की कहा तो प्रतिवादी सं. 1 व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण ने मना कर दिया की मेरे खातेदारी की आराजीयात में से एक इंच जमीन भी नही दूँगा। तथा वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग आधिपत्य में बाधा व दखउपयोग उपभोग आधिपत्य में बाधा व दखल अन्दाजी पेदा की और वादीगण को कब्जे से बेदखल करने को आमदा हो गया वाद पत्र प्रस्तुत करने का मूल कारण उत्पन्न हुआ अब दिनो दिन उत्पन्न हो रहा है । यह कि वादी के पिता हेमराज बलाई की दुर्घटना में मृत्यु दिनांक 15.11.2006 को जयपुर अस्पताल हॉस्पीटल में हो गयी उसका क्लेम में हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 1 व अन्य वारिसान को मिल चुका है। वादी एक मात्र अकेला नाबालिग होने के कारण वादी की माता विधवा महिला होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 व अप्रार्थीगण ने हमसलाहर मिलाकर अवैध रूप से नाजायज रूप से जबरन लठ के जोर पर बाहुबल ऽ के आधार पर वादी व उसकी माता को जबरन बेदखल करना चाहते है आराजीयात में हिस्सा नही देना चाहते है। इसलिए वादी की और से उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ । प्रतिवादी सं. 1 जीवित है उसके पारिवारीक सदस्य जिनका उपरोक्त आराजीयात में सम्भावित हक हिस्सा बनता है उनको बाद पत्र में प्रको प्रतिवादीगण पक्षकार बनाया गया है। वाद निम्नानुसार खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे। कि वर्णित पेरा सं. 1 में सुचि सं. अ, ब, स में वादीगण के दादा सुखलाल पुत्र धन्ना की आराजीयात जिसका इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी स म्वत 2072 से 2075 जमाबंदी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम बतोर खातेदार इन्द्राज है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण का सुचि सं. अब, स, 1/7 हिस्सा का इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में बतोर खातेदार इन्द्राज किया जावें व वादीगण का खाता अलग विभाजीत किया जावे । वाद वर्णित पेरा सं. 1 में सुचि सं. अ, ब, स, में वादीगण के सुखलाल पुत्र धन्ना की की आराजीयात जिसका

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबंदी स सम्वत 2072 से 2075 जमाबंदी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम बतोर खातेदार इन्द्राज है। जिसमें प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है जिसमें वादीगण का सुचि सं. अ ब स में 1/7 हिस्सा का इन्द्राज राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में बतोर खातेदार इन्द्राज किया जावें व वादीगण का खाता अलग विभाजीत किया जावे। तथा प्रतिवादी सं. 1 व प्रफोर्मा पक्षकारगण को मय उसके नोकर चाकर, पारिवारीक सदस्य के स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद फरमाया जावे की वादीगण के हक हिस्से अधिकार की आराजीयात में कब्जे काश्त उपयोग उपभोग आधिपत्य मे बांधा व दखल अन्दाजी पेदा नही करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र संलग्न राजीनामा अनुसार वाद डिक्रीय किये जाने का निवेदन किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बहक इकरारनामा व राजीनामा अनुसार दावा डिकरी किये जाने पर पक्षकारान को सुना गया।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की राजीनामा पर मनन किया, अतः पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने से वादी का दावा डिकरी स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित आराजी ग्राम ऊगाई तहसील केकडी खाता संख्या 69–60, कुल किता 16, कुल रकबा 6.05हैक्टर में प्रतिवादी संख्या–1 के राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में 19/84 हिस्सा इन्द्राज है अतः प्रतिवादी संख्या–1 के 19/84हिस्से में वादी का 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे व खाता संख्या 125–108 खसरा संख्या 225 रकबा 0.05हैक्टर में प्रतिवादी संख्या–1 का 1/7हिस्सा है उक्त प्रतिवादी संख्या–1 के 1/7हिस्से में वादी का 1/7हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। तहसीलदार केकडी राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरस्त की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

(विकास पचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकडी

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

मूल वाद में दावा डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारीः– विकास पंचोली (आर.ए.एस)
उनवान

1. रामअवतार बलाई पुत्र स्व.श्री हेमराज जाति बलाई निवासी उगांई तहसील केकडी जिला अजमेर राज. नाबालिग संरक्षक माता श्रीमति रेखा देवी पत्नी स्व. श्री हेमराज जाति बलाई निवासी उंगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।

––––वादी

♠ बनाम ♠

1. सुखलाल पुत्र श्री धन्ना जाति बलाई निवासी ऊगाई तहसील केकडी जिला अजमेरं
2. श्रीमान पटवारी महोदय पटवार हल्का ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
3. श्रीमान तहसीलदार साहब केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर।

– प्रतिवादी

4. काली पत्नी रामा जाति बलाई निवासी ऊगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
5. चेतनराम पुत्र धन्ना जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
6. छोटूराम पुत्र धन्ना जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर
7. दुर्गेश पुत्र रामा जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
8. पांची पुत्री धन्ना जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. मुकेश पुत्र रामा जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
10. महेन्द्र पुत्र रामा जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
11. लाडा पत्नी स्व. देवीलाल जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
12. राजू पुत्र स्व. देवीलाल जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
13. राखी पुत्री सुखलाल जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
14. सनया पुत्री सुखलाल जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
15. मैना पुत्री सुखलाल जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
16. सरोज पुत्री सुखलाल जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।
17. शिवराज पुत्र सुखलाल जाति बलाई निवासी ऊँगाई तहसील केकडी जिला अजमेर।

–प्रफोर्मा प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 89(2),209,92ए,53,88,188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बरः– राजस्व वाद 127 / 2022 (2022 / 419)
निर्णय दिनांकः– 13.08.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी केकडी बहाजिरी श्री नोरतमल सांखला वकील वादी व श्री नीरज जैन वकील प्रतिवादी पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह पेश कर हुक्म दिया जाता है वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 89(2),209,92ए,53,88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा डिग्री राजीनामा होने से वादी के पक्ष में स्वीकार किया जाता है वाद वर्णित आराजी ग्राम ऊगाई तहसील केकडी खाता संख्या 69–60, कुल किता 16, कुल रकबा 6.05हैक्टर में प्रतिवादी संख्या–1 के राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में 19 / 84 हिस्सा

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

इन्द्राज है अतः प्रतिवादी संख्या–1 के 19/84हिस्से में वादी का 1/7 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे व खाता संख्या 125–108 खसरा संख्या 225 रकबा 0.05हैक्टर में प्रतिवादी संख्या–1 का 1/7हिस्सा है उक्त प्रतिवादी संख्या–1 के 1/7हिस्से में वादी का 1/7हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे। तहसीलदार केकडी राजस्व रिकोर्ड में इन्द्राज दुरस्त की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

चीज ....मुबलिक...बाबत्................................

खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक...को अदा करे

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 अगस्त 2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत

ओहदा

सदस्य
उपखण्ड अधिकारी
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
...(अजमेर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान.			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर.			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
गुतफरिक	———	———	गुतफरिक	———	———
मीजान	0	0	मीजान	0	0

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner